

Try Form No. 385 (P)
RECEIPT FOR PAYMENT TO GOVERNMENT
(Form No. 1, Chapter III, Paragraph 26, Financial
Hand-book Volume 758126 ③



356126 Receipt No. 13
Date 05/10/2017
Place बादायत
Received from श्री. पी.के. मिश्र
the sum of Rupees 310-00 (त्रयस्रा दशैकं शतं)
on account of कर्मचारी

Signature सहस्रांक निदेशक
कर्मचारी कल्याण संस्थान
बादायत।
Date 05/10/2017

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

38AB 108376

श्री. पी.के. मिश्र
कर्मचारी कल्याण संस्थान
बादायत
पिन कोड - 221888



Handwritten signature and text at the bottom of the page.

-: स्मृति पत्र :-

१:संस्था का नाम : रामसकल स्मारक जन शिक्षण सेवा संस्थान ।
 २:संस्था का पता : ग्राम- गोरथानी पो०- अतरौलिया, तह०- बूढ़नुपुर जिला- आजमगढ़,
 : उ०प्र० ।

३:संस्था का कार्यक्षेत्र : सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश ।

४:संस्था के उद्देश्य १ : कार्यक्षेत्र के अन्तर्गत पूर्व- प्राइमरी स्तर से उच्च स्तर तक बालक/बालिका विद्यालयों, महाविद्यालयों की स्थापना एवं संचालन विभागीय अनुमति से करने का प्रयास करना ।

२: विकलोंगों को निःशुल्क कृत्रिमअंग, भोजन, आवास, शिक्षा, वस्त्रादि प्रदान करना तथा उनके लिए कृत्रिमअंगों का क्रय व वितरण करना ।

३: बाल श्रमिकों का चिन्हीकरण करना तथा उन्हें शिक्षित करने का प्रयास करना तथा बधुओं मजदूरों को मुक्त करा कर उन्हें तथा बालश्रमिकों को शिक्षित-प्रशिक्षित कर उन्हें स्वरोजगार में स्थापित करने का प्रयास करना

४: कार्यक्षेत्र के अन्तर्गत आवासीय विद्यालयों, अनावासीय विद्यालयों, कान्वेण्ट विद्यालयों, बाल श्रमिक विद्यालयों, आश्रमपद्धति विद्यालयों, संस्कृत विद्यालयों, बौद्ध विद्यालयों, अम्बेडकर प्राथमिक विद्यालयों, उर्दू, हिन्दी, अंग्रेजी माध्यम के विद्यालयों, विकलोंग विद्यालयों, तकनीकी विद्यालयों, औद्योगिक, प्रौद्योगिक प्राविधिक, विद्यालयों, सर्वशिक्षा अभियान कार्यक्रमों किसान विद्यालयों आदि की स्थापना एवं संचालन विभागीय अनुमति से करने का प्रयास करना

५: गरीब, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति, बालश्रमिक, दलित, विकलोंगो मेघावी, निराश्रित, असहाय तथा मृतक अश्रित सेनानियों के बच्चों, वीरगति प्राप्त, विकलोंग सैनिकों के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा तथा पुस्तकें प्रदान करने का प्रयास करना तथा उनके लिए छात्रवृत्ति एवं छात्रावासों की व्यवस्था करना ।

६: निः शुल्क पुस्तकालयों, वाचनालयों, क्रीडास्थलों, छात्रावासों, अनाथालयों, वृद्धाश्रमों, विधवाश्रमों, नारी निकेतनों बाल संरक्षण गृहों सामुदायिक उत्पादन केन्द्रों संग्रहालयों, प्रयोग शालाओं आदि की स्थापना एवं संचालन करना ।

७: कार्यक्षेत्र के अन्तर्गत कम्प्यूटर हार्डवेयर, कम्प्यूटर साफ्ट वेयर एवं डिजाइनिंग, इन्टरनेट, साइबर कैफे, सिलाई, कढ़ाई, कटाई, कताई, बुनाई, तकनीकी, शिल्पकला, हस्तशिल्पकला, काष्ठकला कम्प्यूटर, टंकण, आशुलिपि, इलेक्ट्रिकल्स एण्ड इलेक्ट्रानिक्स, पेंटिंग, जरीकढ़ाई, चिकनकढ़ाई, कालीन बुनाई, दरी बुनाई, संगीत, नाट्य, बाद्य, कला, नृत्य, आई०टी०आई०, पालिटेक्निक आदि प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना एवं संचालन करना ।

८: पर्यावरण संरक्षण हेतु कार्य करना तथा वन व वन्य प्राणियों की रक्षा की भावना लोगों के अन्दर पैदा करना तथा वृक्षारोपण करना । प्रदूषण नियंत्रण हेतु मवेशी खानों, पशु अस्पतालों, प्रदूषण जाँच केन्द्रों की स्थापना एवं संचालन करना ।

कार्य-प्रवर्तित्विधि

राज्य-निर्देशक

आजमगढ़ जिला- आजमगढ़ ।

कृष्णा


दीपिका

19/11/2014

प्रमोद

अरविन्द मिश्रा

- ६: कृषि उत्पाद बढ़ाने का प्रयास करना तथा किसानों को नये तकनीकीयंत्रों, खादों, बीजों, कीटनाशक दवाओं उसर भूमि सुधार खादों के प्रयोग की विधि व मात्रा को बताना तथा उन्हें उपलब्ध कराने का प्रयास करना
- १०: बालक/बालिकाओ, कलाकारो, के शारीरिक , बौद्धिक , मानसिक तथा चारित्रिक विकास करना तथा उनके लिए समय -समय पर खेलों, सेमीनारों , गोष्ठियों, प्रदर्शनियो आदि का आयोजन, संचालन करना सफल बालक/बालिकाओ, कलाकारो को पुरस्कृत करना, ।
- ११: भारत सरकार, प्रदेशसरकार, जिला , तहसील, ब्लॉक तथा न्याय पंचायत स्तर पर जन विकास विशेषकर मानव संसाधन विकास मंत्रालय की योजनाओं एवं विकास के कार्यक्रमों को क्रियान्वित करना ।
- १२: कृषि उत्पाद में सहायक पशुपालन, मधुमक्खी पालन, बकरी पालन, भेड़पालन आदि व्यवसाय करना तथा इसके निमित्त लोगों को सही व उचित जानकारी देना ।
- १३: मात्र-शिशु कल्याण योजनाओं को क्रियान्वित करना तथा लोगों को परिवार नियोजन अपनाने की सही व उचित सलाह देना तथा जगह-जगह निःशुल्क नसबंदी शिविरों, टीकाकरण शिविरों, पल्सपोलियों शिविरों, दवाखानों, चैरिटेबुल अस्पतालों, एड्स, अपंगता, कुष्ठ, अंधता, निवारण केन्द्रों आदि की स्थापना एवं संचालन करना ।
- १४: कुटीर उद्योग को बढ़ावा देने हेतु मोमबत्ती, अगरबत्ती, दियासलाई, वाशिंगपाउडर, ब्लीचिंगपाउडर, साबुन, अचार, मुरब्बा, चिस्, चोकलेट, नमकीन, विस्कुट, नील, चाय, कागज की कप, प्लेट आदि बनाने हेतु प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना एवं संचालन करना ।
- १५: समाज में व्याप्त कुरीतियों जैसे देहेज, बाल विवाह, नशा, शराब, गोंजा, अफीम, भोंग, तम्बाकू आदि का सेवन करने वालों को बचाने हेतु जागरूकता शिविरों एवं नशा उन्मूलन अस्पताल केन्द्रों की स्थापना एवं संचालन करना ।
- १६: युवक/युवतियों को मोटर चालक ट्रेनिंग देकर उन्हें स्वरोजगार में स्थापित करने का प्रयास करना, तथा मोटर वाहन मरम्मत की ट्रेनिंग व प्रशिक्षण देना तथा प्रशिक्षण प्राप्त प्रशिक्षुओ को प्रमाण पत्र जारी करने का प्रयास करना ।
- १७: दैवीय आपदा यथा बाढ़, सुखा, भूकम्प, महामारी, ओलावृष्टि, तूफान, आदि के समय लोगो की यथा सम्भव मदद करना तथा पीड़ितों को निःशुल्क भोजन, दवा-इलाज, आवास, वस्त्रादि प्रदान करने का प्रयास करना ।
- १८: मानव संसाधन विकास मंत्रालय , यूनीसेफ, डब्लू०एच०ओ० , सिडवी, अवाड, कपार्ट, नवाड , नोराड , डूडा , सूडा, डवाकरा डी०आर डी०ए०, आई०आर०डी०पी०, एस०जे०आर०वाई०, एस०जे० एस०वाई०, जे०आर०वाई०, अम्बेडकर ग्राम, समग्र ग्राम, स्वजलधारा, सिप्सा आदि योजनाओं को जनहित में क्रियान्वित करना ।

 प्रमोद

सहायक निबंधक
राज्य-प्रतिलिपि
कृष्णा दीपिका
20/11/2014
अजमेर
31/11/14 मिम

- १६: गाँवों में रहने वाली गरीब जनता के स्वास्थ्य विकास हेतु जगह-जगह चौपालों, जनजागरूकता कार्यक्रमों, प्रदर्शनियों आदि के द्वारा लोगों को घरों में शौचालय बनाने के लिए प्रेरित करना तथा जगह-जगह निःशुल्क शौचालयों, मूत्रालयों, पेयजल सफाई एवं निःशुल्क व्यवस्था व संचालन करने का प्रयास करना ।
- २०: समाज में समता, स्वतंत्रता तथा बन्धुत्व की भावना के विकास हेतु हर सम्भव प्रयास करना, राज्य सरकार, केन्द्र सरकार व विदेशी सरकार के कार्यक्रमों का संचालन करने का प्रयास करना
- २१: स्वास्थ्य के संदर्भ में जागरूकता फैलाना तथा इसके अन्तर्गत स्वास्थ्य विभाग द्वारा चलाये जा रहे कार्यक्रमों के बारे में जन सामान्य को जानकारी प्रदान करने का प्रयास करना ।
- २२: कार्यक्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले गरीब असहाय, निराश्रित बालक/बालिकाओं की सामूहिक व पृथक-पृथक शादी विवाह कराना व उनके विवाह के समय यथाशक्ति भोज्य पदार्थ, टेन्ट आदि सामान उपलब्ध कराने का प्रयास करना तथा विवाहोपरान्त प्रमाण पत्र निर्गत करने का प्रयास करना ।
- ५: संस्था के प्रबन्धकारिणी समिति के सदस्यों /पदाधिकारियों के नाम, पिता/पति का नाम, पता तथा व्यवसाय जिनको संस्था के नियमानुसार कार्यभार सौपा गया :-

क्र०सं० नाम	पिता/पति का नाम	पता	पद	व्यवसाय
१:श्री राणा प्रताप सिंह	श्री आर० एस० सिंह	ग्राम गोरथानी पो० अतरौलिया, आजमगढ़	अध्यक्ष	कृषि
२:श्री पारसनाथ	स्व० रामसकल	मु० आरोजी बाग, सैदर आजमगढ़	प्रबन्धक/ सचिव	समाजसेवा
३:श्री प्रमोद कुमार	श्री विजयबहादुर	ग्राम गोरथानी पो० अतरौलिया, आजमगढ़	कोषाध्यक्ष	कृषि
४:श्री रमाकान्त	श्री तालुकदार	ग्राम ,पो० जमीन दसांव आजमगढ़	सदस्य	„
५:श्री अरविन्द	श्री सभापति	ग्राम,पो० अतरौलिया, आजमगढ़	„	„
६:श्रीमती कृष्णा	श्री विजयबहादुर	ग्राम गोरथानी पो० अतरौलिया, आजमगढ़	„	गृहिणी
७:श्रीमती दीपिका	श्री विनोद कुमार	„ „	„	„

६:हम निम्न हस्ताक्षरकर्तागण संस्था को उपरोक्त स्मृति पत्र व संलग्न नियमावली के अनुसार सो०रजि०एक्ट १८६० की धारा २१ के अन्तर्गत रजि० कराना चाहते हैं ।

दिनांक 16/5/2012

सभी पदाधिकारियों/सदस्यों के स्पष्ट हस्ताक्षर

सहायक निदेशक
आजमगढ़

दीपिका

16/5/2012

[Signature]

[Signature]

30/5/2012